प्रति

श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी
कार्या० - उपभोक्ता फोरम विद्युत
शिकायत निवारण गुण्डियारी
रायपुर

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
क्रमांक 81
दिनांक 25 JUN 20
रायपुर (शहर)

विषय = लाइन विस्तार मे अरैड करने का निराकरण बाबत महो० जी

प्रकरण = यह है कि मैं - नेमीचंद निषाद आ० स्व. भीखम लि० निषाद सा० मोहल्ला वार्ड नं 04 ल. ग्राम मोहल्ला जिला mmc का मूल निवासी हूँ।
उपरोक्तानुसार मेरे खेत में नलकूप कनेक्शन है जिसका ऊंचाई निश्चित कर S/C नहीं किया गया तथा कृषि कार्य करने मे अरैड करता है तथा संबंधित विद्युत अधिकारी गण को अनुरोध करने पर कोई सुनवाई नहीं करते इस प्रकार जान का खतरा है अतः आप कार्यालय के नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

to Chairperson RJN.

प्रार्थी
[signature]
नेमीचंद निषाद
mo. 9685350460

CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ षासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग, मोहला

क्र.-/कार्य.अभि./फोरम शिकायत/ 860 — मोहला, दिनांक 15.07.2026

प्रति,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगांव

विषय :— आवेदक श्री नेमीचंद निषाद आ.भीखम सिंह ग्राम मोहला जिला मोहला मानपुर अं. चौकी का उपभोक्ता फोरम शिकायत का निराकरण कर जानकारी प्रेषण बाबत्।

संदर्भ :—1. आपका पत्र क्रमांक वि.उ.शि.नि.फो.राजनांदगांव / 59 राजनांदगावं दिनांक 06.07. 2026

2. सहायक अभियंता (उपसंभाग) मोहला का पत्र कं.343 दिनांक 15.07.2026

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं सदंर्भित पत्रानुसार लेख है कि आवेदक श्री नेमीचंद आ. स्व. श्री भीखम सिंह निषाद,सा. मोहला वार्ड नं. 04 तहसील मोहला, जिला— मोहला मानपुर अं.चौकी छ.ग. के द्वारा नलकूप कनेक्शन की उचांई निश्चित स्तर पर न होने के कारण कृषि कार्य करने में रूकावट होने के संबंध की शिकायत फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके संबंध में निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है:—

1. संबंधित स्थल पर एल.टी. लाईन एवं 11 केवी लाईन से मध्य आवश्यक सुरक्षा दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से तकनीकी आवश्यकता के अनुसार एल.टी. लाईन को अस्थायी रूप से नीचे किया गया था।
2. उपभोक्ता की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उक्त स्थल पर 9 मीटर ऊँचाई के मिड स्पांन विद्युत पोल स्थापित कर लाईन की ऊँचाई बढ़ा दी गई है। तथा लाईन नियमानुसार सुरक्षित स्थिति में है।
3. वर्तमान में उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

अतः उपरोक्त निराकरण प्रतिवेदन उपभोक्ता को सूचित करते हुए फोरम के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

ए.के.रामटेके (92315216)
कार्यपालन अभियंता (सं. / सं.)संभाग
छ.ग.स्टेट.पा.डिस्ट्री.कं.लिमि.,मोहला

प्रतिलिपिः— 1. आवेदक श्री नेमीचंद आ.स्व. श्री भीखम सिंह निषाद,सा. मोहला वार्ड नं. 04 तहसील मोहला, जिला— मोहला मानपुर अं.चौकी छ.ग. को उनके आवेदन के निराकरण संबंध में सूचनार्थ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/65 राजनांदगांव दिनांक 22 JUL 2026

01. श्री नेमीचंद निषाद आ.स्व. श्री भीखम सिंह निषाद
ग्राम मोहला, जिला मानपुर–मोहला–अं. चौकी (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

विषय :– प्रकरण क्रमांक/28/2026 पर पारित आदेश

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा परित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 28 / 2026
संस्थित दिनांक 01 / 07 / 2026

श्री नेमीचंद निषाद आ.स्व. श्री भीखम सिंह निषाद ....परिवादी
ग्राम मोहला जिला मानपुर–मोहला–अं. चौकी (छ.ग.)

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग, ...उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 22 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादी को प्रदान की गई नलकूप कनेक्शन हेतु विस्तार की गई लाईन की उंचाई निश्चित स्तर पर न होने के कारण कृषि कार्य में रूकावट आने ~~के~~ एवं इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा आवश्यक निराकरण नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी का ग्राम मोहला, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी स्थित खेत में कृषि कार्य के लिए नलकूप का स्थाई विद्युत कनेक्शन है।

ख. परिवादी द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित बिलिंग अथवा बकाया राशि को लेकर विवाद नहीं है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी को उसके स्वंय के खेत में उत्तरवादी द्वारा नलकूल कनेक्शन प्रदान किया गया है जिसका लाईन की ऊंचाई निश्चित स्तर पर नहीं किया गया है तथा कृषि कार्य करने में परिवादी को लाईन व्ययधान करता है जिससे परिवादी को जान का खतरा बना रहता है। परिवादी द्वारा संबंधित विद्युत अधिकारी से अनुरोध करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप परिवादी ने नियमानुसार जांच कर फोरम को उचित कार्यवाही करने की शिकायत दर्ज की है।

4. प्रस्तुत शिकायत का उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 860 दिनांक 15.07.2026 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

उपभोक्ता के स्थापित पंप के स्थल पर एल.टी. लाईन एवं 11 के.व्ही लाईन से मध्य आवश्यक सुरक्षा दूरी बनाए रखने के उददेश्य से तकनीकी आवश्यकता के अनुसार एल.टी लाईन को अस्थायी रूप से नीचे किया गया था। उपभोक्ता की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उक्त स्थल पर 9 मीटर ऊचाई के मिड स्पांन विद्युत पोल स्थापित कर लाईन की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। तथा लाईन नियमानुसार सुरक्षित स्थिति में है।

वर्तमान में उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

I. क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी के नलकूप की ऊचाई निश्चित स्तर पर सुधारा गया।
II. क्या परिवादी को विद्युत आपूर्ति एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की कोई बाधा है।
III. सी.ई.ए.सुरक्षा विनियम की कंडिका 58 के अनुसार कार्य संपादित किया गया।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है उनके नलकूप कनेक्शन में लगे लाईन की उंचाई कम होने के कारण परिवादी को कृषि कार्य करने में परेशानी हो रही है एवं उचाई कम होने से परिवादी के जान का खतरा बना रहता है। इस संबंध उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी के नलकूप कनेक्शन स्थल पर एल.टी.लाईन एवं 11 के.व्ही लाईन आपस में कास हो जाने के कारण ताकनिकी दृष्टि से एल.टी.लाईन को अस्थायी रूप से नीचे किया गया था। उत्तरवादी ने उक्त समस्या का स्थायी निदान हेतु उक्त स्थल पर 09 मीटर उचाई पर मिड स्पांन विद्युत पोल स्थापित कर लाईन की उंचाई बढ़ा दी गई है।

विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी द्वारा उत्तरवादी द्वारा सी.ई.ए.सुरक्षा विनियम की कंडिका 58 के अनुसार कार्य संपादित किया गया है। जिससे परिवादी की सर्विस कनेक्शन की उंचाई बढ़कर सुरक्षित स्थिति पर हो गई है। जिससे परिवादी को कृषि संबंधी कार्य करने में कोई बाधा नहीं हो रही ही।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है :–

I. मै यह पाता हूं कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी कि समस्या के स्थायी निदान हेतु नलकूप कनेक्शन स्थल पर 09 मीटर का मीड स्पांन पोल लगाया गया जिससे परिवादी कि लाईन सुरक्षित उंचाई पर हो गई है।

II. फोरम उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि भविष्य में जहां कई भी विद्युत लाईन की उंचाई सुरक्षित दूरी पर नहीं है वहां सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 58 के अनुसार कार्य संपादित कराया जाए जिससे दुर्घटना कि संभावना नगन्य की जा सके।

9. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी की शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है। परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के बाद इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया । आदेश पारित किया गया

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष